| नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए | न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ( राज. )<br>प्रतापसिंह बनाम नन्दलाल<br>किस्म मुकदमा नं. 29 सन् 2020<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| -04.26 | पत्रावली पेश हुई है। निगराकार अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में गैर निगराकार संख्या 01 की पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। निगराकार द्वारा जिस पट्टे को निरस्त करवाने का निवेदन किया गया है। निगराकार ने निगरानी प्रकरण में कोई प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुवाणा के पत्र क्रमांक 2262 दिनांक 09.12.2026 से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 को तत्कालीन ग्राम पंचायत पीपली द्वारा पत्रावली संख्या 47 दिनांक 05.07.2010 द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा दिनांक 02.10.2010 को जारी तथाकथित पट्टा ग्राम पंचायत पीपली द्वारा जारी नहीं होना पाया गया। निगराकार अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किये गये व ना ही वादग्रस्त पट्टे का कोई ठोस प्रमाण न्यायालय पेश किया गया। इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेज एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पट्टे की अस्तित्वता का सिद्व होना नहीं पाया जाता है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर यह प्रकरण निगरानी धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 पोषणीय नहीं होने से खारीज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम करे।<br><br>(जसमीत सिंह संधू)<br>जिला कलक्टर<br>भीलवाड़ा | |

(मुहर: जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.))

...मता<br>सुवाणा<br>...ल